

3/20

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

कमांक 12/भू0अ0/ज0स0/2017/

दिनांक

विज्ञप्ति

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मेवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना की बाईं मुख्य नहर चैन 0 से 15 तक के निर्माण कार्य मय हेड रेगुलेटर निर्माण कार्य हेतु, भूमि को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि नीचे वर्णित इलाकों की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः यह विज्ञप्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबंध है, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये हैं।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेत्र की किसी भूमि के अवाप्त करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बिछीवाड़ा को प्रस्तुत कर सकता है। विवरण सलग्न सूची के अनुसार।

सलग्न:-सूची।

आज्ञा से,

६०

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्रावै. सहायक

वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन

राजस्थान जयपुर।

दिनांक :- 21-05-2017

कमांक 12/भू0अ0/ज0स0/2017/ 12344 - 12347

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
- 2-निर्देशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। कृपया प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावे।

3-अधिशापी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, प्रथम डूंगरपुर को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है:-

(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करे।

(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।

4- भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बिछीवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि घोषणा का सांराश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

६/१५/१७
३/६/१७

3/6/17

278
3/6/17

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्रावै. सहायक

वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन

राजस्थान जयपुर।

गाड़ा लघु सिंचाई परियोजना की बाईं मुख्य नहर (LMC) चेन 0 से 15 तक निर्माण कार्य
 मय हेड रेगुलेटर निर्माण कार्य के अन्तर्गत अवाप्त भूमि के
 धारा 11 के प्रस्ताव की सूची

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	खसरा नं.	कूल क्षेत्रफल (बिघा-बिरवा)	अवाप्त की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (बिघा-बिरवा)	विवरण
1.	मंगला बेचर उदा हलिया पिता वक्ता मीणा सा. देह खातेदार ना.सं.201 से रहनमुक्त	550	1-18	0-18	रा. I
2.	बेचर जयन्ति रमेश राजू पिता दौला 4/5 हि. ब. रहन पिता सुरमाल वो मोगी पत्नि सूरमाल 1/5 मीणा सा. देह खाते. ना. सं. 496 रीविरासती	521	0-03	-	मकान
		522	4-06	2-00	रा. I
		752	2-00	1-05	रा. II
3.	बाबु पिता मंगला, जमना पत्नि बाबु मीणा सा. देह. खातेदार	1017/519	0-10	0-10	मकान 0.02 सु. II 0.08
	योग		8-17	4-13	
	बिलानाम	519	73-08	0-15	बिलानाम
	योग		73-08	0-15	
	कूल योग		82-05	5-08	

सहायक अभियन्ता
 जल संसाधन उपखण्ड बिछीवाडा
 मु. डूंगरपुर

अधिसाधी अभियन्ता
 जल संसाधन खण्ड-प्रथम डूंगरपुर

प्रति हस्ताक्षरित

जितेंद्र शर्मा
 जल संसाधन सचिव - प्रथम अभियन्ता
 वं त.स.वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
 राजस्थान, जयपुर